न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 50/12</u> **निर्णय दिनांकः–24–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2012/00120)

1. किशनलाल पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
2. प्रभूदयाल पुत्र लूणाराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
3. मदनलाल पुत्र मूलचन्द जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
4. मोडाराम पुत्र रूधनाथराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
5. केशरीचन्द पुत्र हीरालाल जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
6. सुगनाराम पुत्र मानाराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
7. किसनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
8. मूलचन्द पुत्र सुखाराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
9. पूनमचन्द पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
10. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
11. दीपचन्द पुत्र हनुमान जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
12. विजयकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।
13. विश्वकर्मा सूत्रधार शिल्पकार कल्याण प्रन्यास आवासीय कॉलोनी नालरोड जरिये अध्यक्ष दूलाराम पुत्र मालाराम सुथार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. प्रहलादराम पुत्र शंकरलाल जाति रंगा ब्राहमण निवासी बीकानेर।
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूराम जाति सुथार निवासी बीकानेर।
3. भंवरलाल पुत्र पन्नाराम जाति सुथार निवासी जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर।
4. मांगीलाल पुत्र गोरधन जाति सुथार निवासी जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर।
5. शिवकिशन पुत्र चौरूलाल जाति सुथार निवासी चौखूँटी, बीकानेर।
6. दाऊलाल पुत्र चौरूलाल जाति सुथार निवासी चौखूँटी, बीकानेर।
7. कन्हैयालाल पुत्र चौरूलाल जाति सुथार निवासी चौखूँटी, बीकानेर।
8. कैलाश पुत्र चौरूलाल जाति सुथार निवासी चौखूँटी, बीकानेर।
9. देवकिशन पुत्र पन्नाराम जाति सुथार निवासी रानीसर बास, बीकानेर।
10. शिवजी पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी मांडण खाखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. धन्नाराम पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी मांडण खाखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. पन्नाराम पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी मांडण खाखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

13. बाबुलाल पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी मांडण खाखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. जगदीश पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी प्लॉट संख्या 20–3–सी/40 मघाराम कॉलोनी, बीकानेर। डॉयरेक्टर डी0मास सिटी डवलपर्स प्रा.लि., बीकानेर।
15. कपूरचन्द पुत्र मिश्रीलाल जाति राठी निवासी सीताराम भवन के पास, बीकानेर।
16. निरन्जनकुमार पत्र बंशीधर जाति बिहाणी निवासी बीकानेर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व बीकानेर।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 19–03–2012
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 14
3. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 15
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2012 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम नाथूसर के खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 219/185/9 की 0.70 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने व नामान्तरणकरण संख्या 52 व 53, नामान्तरणकरण संख्या 33 निरस्त करवाने हेतु व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के अवैध निर्माण को तुड़वाकर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व चिर–निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की इस्तदुआ

की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना के तहत खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नाथूसर के पुराने खसरा नम्बर 41 बीघा 12 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की जरिये ईकरारनामा खरीद की गई है। जिसके वादीगण के हक में विक्रय करवाने हेतु कई बार सम्पर्क करने पर प्रतिवादीगण द्वारा अपीलांट्स के हक में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाने के कारण अपीलांट्स द्वारा उक्त ईकरारनामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि ईकरारनामें के आधार पर दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसक कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि जरिये ईकरारनामा अपीलांट्स की खरीदशुदा भूमि होने से उक्त भूमि पर अपीलांट्स के हक व हकूक निहित है, ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के

सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किये गये ईकरारानामें के आधारपर वादग्रस्त भूमि की धोषणा करने का दावा प्रस्तुत करते हुए अपने खातेदार धोषणाकरने की इस्तदुआ की गई थी। उक्त वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक अधिकारों के प्रस्तुत व ईकरारानामें के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट् के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम नाथूसर के खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 219/185/9 की 0.70 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने व नामान्तरणकरण संख्या 52 व 53, नामान्तरणकरण संख्या 33 निरस्त करवाने हेतु व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के अवैध निर्माण को तुड़वाकर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व चिर–निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की इस्तदुआ की गई। उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 14/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने के फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज

करने का कथन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जरिये ईकरारनामा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा की इस्तदुआ अदालत मातहत के समक्ष की गई थी।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज करने का कथन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि अपीलांट्स/वादीगण का वादगस्त भूमि खसरा नम्बर 80 मीन का वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 220/9 की 1.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 219/185/9 की 0.70 हेक्टर भूमि से क्या संबंध है तथा ईकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने के कारण कारण अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा जरिये ईकरारनामा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जबकि कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार ईकरारनामें के जरिये खातेदारी भूमि का कय किया जाना विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में विधि द्वारा वर्जित दस्तावेज के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स/वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण खारिज किया गया है। जिसके किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19—02—2012 सहायक कलेक्टर, बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24—02—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 12:13:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: